



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-410-औ०सं०-17/पाकालि/2024-11(04)एफ/86(वो०-3)

दिनांक: 24 फरवरी, 2024

शुद्धि-पत्र

कारपोरेशन के आदेश संख्या-350-औ०सं०-17/पाकालि/2024-11(4)एफ/86 (वो०-111) दिनांक 29.01.2024 द्वारा वाह्य रोगी हेतु पूर्व मान्यता प्राप्त 36 निजी चिकित्सालयों की मान्यता अवधि विस्तारित की गयी है, जिसमें विस्तारित अवधि त्रुटिवश दिनांक 30.06.2024 अंकित हो गयी है। एतद्वारा उक्त विस्तारित अवधि दिनांक 30.06.2024 के स्थान पर दिनांक 30.04.2026 पढ़ा जाय।

आदेश सं०-350-औ०सं०-17/पाकालि/2024-11(4)एफ/86 (वो०-111) दिनांक 29.01.2024 के अन्य नियम एवं प्राविधान यथावत् रहेंगे।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या:-410 (1) औसं-17/पाकालि/2024-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 8वें तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन लि०, शक्ति भवन/उ०प्र० एस०एल०डी०सी० लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निदेशक (का०प्र०) उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/निदेशक (कार्य एवं परियोजना), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
8. (प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केसको, कानपुर।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० लखनऊ।
10. महानिदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनीनगर, लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता, जाँच समिति उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
12. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
14. महाप्रबन्धक (औ०सं०)/ उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पाकालि, लखनऊ।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा)/मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
17. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
18. कम्पनी सचिव, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
19. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical पर अपलोड करने हेतु।
20. सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालयों से सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी/पंजीकरण प्राधिकारी, उ०प्र०।
21. प्रबन्धकगण- सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालय।
22. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेंट स्टेशन रोड, लखनऊ।
23. कट फाइल।

भवदीय,

Pranav
(प्रदीप कुमार) 24/2/24

महाप्रबन्धक (औ०सं०)